न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
120 / 25	04 / 08 / 25	15 / 10 / 25

/ / उनवान / /

1. इन्द्रादेवी पत्नि महेन्द्रसिंह जाति अहीर, निवासी गोपीपुरा तहसील मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।

:– **प्रार्थीया**

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, खैरथल–तिजारा (राज0)

:– **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 15 / 10 / 2025

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा न0 265 रकबा 0.65 हैक्0, 266 रकबा 0.44 हैक्0, 267 रकबा 0.35 हैक्0, 268 रकबा 0.39 हैक्0, 269 रकबा 0.38 हैक्0, 270 रकबा 0.52 हैक्0, 335 रकबा 0.11 हैक्0, वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी इस प्रार्थना–पत्र में में विवादित कहलाएगी। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 265, 266, 267, 268, 269, 270, 335 जिसके साबिक ख0न0 क्रमशः 217, 218, 219, 220, 221, 222, 283 ये हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2069 द्वारा पैमूद किये गये है। यह है कि विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत 2065–2068 की जमाबंदी में प्राथीया के पति का नाम महेन्द्रसिंह दर्ज रहा है लेकिन सेग्रीगेसन के दौरान प्रार्थीया के पति का नाम महेन्द्रसिंह के बजाय मोहरसिंह विधि विरूद्ध एवं बिना किसी दस्तावेज एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अंकित कर दिया गया है। जो हर सूरत में काबिल निरस्तनीय एवं काबिल दुरूस्ती है। यह है कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी अब दिनांक 07.07.2025 को राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर हुई है जिस पर प्रार्थीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क कर नाम दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने अदालत से आदेश लाने की बात कह कर दुरूस्ती करने से मना कर दिया। इसलिए अविलम्ब प्रार्थना–पत्र शुद्धी पत्र पेश करना लाजिमी आया है। जो अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह है कि आराजी व पक्षकार वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर में स्थित है जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने के कारण श्रवण योग्य अदालत श्रीमान है।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन कि प्रार्थीया के नाम के साथ पति का नाम मोहरसिंह हजफ किये जाने के व मोहरसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट मय दस्तावेज एवं मय अभिषंशा संलग्न पत्रावली है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/6831 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा जमाबंदी सम्वत 2065–68 व 2069–72 में साबिक खसरा नम्बर 217, 218, 219, 220, 221, 222, 283 जिसके हाल खसरा नम्बर 265, 266, 267, 268, 269, 270, 335 है में इन्द्रादेवी पत्नि महेन्द्रसिंह जाति अहीर सा. देह खातेदार दर्ज है। हाल राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्रादेवी पत्नि मोहरसिंह सहवन से दर्ज हो गया अतः श्रीमान जी ग्राम गोपीपुरा के उक्त हाल खसरा नम्बर में इन्द्रादेवी पत्नि मोहरसिंह के स्थान पर इन्द्रादेवी पत्नि महेन्द्रसिंह शुद्ध करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सम्वत 2070 –2073 किता–7 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2069 एवं जमाबंदी सम्वत 2069 –2072 व जमाबंदी सम्वत 2065 –2068 पेश होकर शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना–पत्र के बाबत पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन किये जाने पर एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा न0 265 रकबा 0.65 हैक्0, 266 रकबा 0.44 हैक्0, 267 रकबा 0.35 हैक्0, 268 रकबा 0.39 हैक्0, 269 रकबा 0.38 हैक्0, 270 रकबा 0.52 हैक्0, 335 रकबा 0.11 हैक्0, वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर में **"प्रार्थीयां इन्द्रा देवी के नाम के साथ पति का नाम मोहरसिंह हजफ किये जाने एवं मोहरसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"** उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)